संख्या-71 /2023/।/325139/2023/001-71-2002-002-9-2023

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 जून, 2023

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-805/डा0रा0म0लो0आ0सं0/2023/सि0-103, दिनांक 12 मई, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि के भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के अंतर्गत विभूति खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को आवंटित भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में संस्थान में वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अवशेष धनराशि रू0 1,52,70,539.00 (रुपये एक करोड़ बावन लाख सत्तर हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 12063726.00 एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 3206813.00) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी उद्देश्यण हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,52,70,539 (रुपये एक करोड़ बावन लाख सत्तर हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-22 / दस-2023-231/ 2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

संख्या-71/2023/।/325139/2023/001-71-2002-002-9-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।